जानिए
अपने अधिकार

मॉरीशस में आप्रवासी श्रमिकों के लिए एक गाइड

1. प्रस्तावना

इस पुस्तिका का उद्देश्य, अधिकार उल्लंघन की स्थिति में, भावी और वर्तमान आप्रवासी श्रमिकों को अपने अधिकारों और संभावित समाधान के बारे में सूचित करना है। यह उन आप्रवासी श्रमिकों के लिए है जो माध्यमिक आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं। इनमें अन्य उद्योगों सहित निम्नलिखित निर्माण और उत्पादन गतिविधियाँ शामिल हैं:

- खाद्य उत्पाद;
- पेय पदार्थ;
- कपड़ा और गार्मेंट;
- चमड़ा और उससे संबंधित उत्पाद;
- कागज के उत्पाद;
- रासायनिक उत्पाद;
- प्लास्टिक उत्पाद;
- लोहे आदि धातु से बने उत्पाद;
- फर्नीचर;
- मशीन और उपकरण।

इसका उद्देश्य आप्रवासी श्रमिकों को मानव तस्करी के खतरों से भी अवगत कराना है। यह गाइड न्याय, मानवाधिकार और संस्थागत सुधार मंत्रालय तथा निम्नलिखित संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है:

- रक्षा और रॉड्रिग्स मंत्रालय;
- विदेश मामले, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय;
- अटॉर्नी जनरल कार्यालय;
- श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्रालय;
- मॉरीशस पुलिस विभाग;
- पासपोर्ट और आप्रवासन कार्यालय;
- अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन;

ब्रिटिश उच्चायोग ने इस पुस्तिका के प्रकाशन को सह-प्रायोजित किया है जिसका अनुवाद आप्रवासी श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषाओं में किया गया।

2. मॉरीशस आने से पूर्व

सामान्य जानकारियाँ

- मॉरीशस में रहने और काम करने के लिए आपको वर्क परमिट और काम करने के लिए निवास / प्रवेश परमिट की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेज़ों के बिना आप मॉरीशस में प्रवेश नहीं कर पाएँगे।
- यदि आप मॉरीशस से **भर्ती एजेंट** की सेवाएँ लेना चाहते हैं, तो पहले सुनिश्चित करें कि वह मॉरीशस में एक मान्य/अधिकृत भर्ती एजेंट है। मॉरीशस में मान्य/अधिकृत एजेंटों की सूची इस लिंक पर उपलब्ध है: http://labour.govmu.org
- **रोज़गार का अनुबंध** मॉरीशस के **श्रम कानूनों** के अनुरूप होना चाहिए और आपके और आपके नियोक्ता की सहमति से तैयार किया जाना चाहिए। आपके रोज़गार के नियम और शर्तें तथा वे सुविधाएँ जो आपको दी जाएँगी, अनुबंध में निर्धारित होंगी। आपकी तथा आपके नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ भी इसमें स्पष्ट होंगी।
- आपकी तरफ से आपके वर्क परमिट तथा निवास परमिट के लिए **श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्रालय**, और **पासपोर्ट और आप्रवासन कार्यालय** में आवेदन भरने की ज़िम्मेदारी आपके नियोक्ता की है।
- मॉरीशस में आने से पहले आपको मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे।
- आपके वर्क परमिट / निवास परमिट की समाप्ति पर देश वापसी के लिए **आपके नियोक्ता (employer) द्वारा हवाई टिकट प्रदान किया जाएगा अथवा संबद्ध कार्यालयों से मंज़ूरी मिलने पर आपका नियोक्ता आपका वर्क परमिट नए शर्तों पर एक और अवधि के लिए बढ़ा सकता है।**

• आपको सलाह दी जाती है कि मॉरीशस के बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करें, उदाहरण के लिए (मुद्रा, भाषा, जलवायु, विनिमय दर, जीवन स्तर, धार्मिक प्रथाएँ और सार्वजनिक छुट्टियाँ)। आप अपने देश के **मॉरीशस दूतावास** अथवा **कांसुलेट** या फिर **आपके देश में मान्य किसी अन्य विदेशी मिशन** से ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

• मॉरीशस में वर्क परमिट के योग्य होने के लिए आपको **20 से 60 वर्ष** का होना चाहिए।

• आपके पति/पत्नी या परिवार के सदस्यों को आपके साथ आने की अनुमति नहीं है।

• इन सब से **सावधान रहें: बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादे**, अपुष्ट/भ्रामक जानकारियाँ, बिना लाइसेंस के भर्ती एजेंट और बढ़ा-चढ़ाकर मांगे जाने वाले शुल्क।

• आपको **मानव तस्करी** का शिकार होने से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

• अपने नियोक्ता को अपना **पासपोर्ट** रखने की अनुमति न दें।

• आपका वर्क परमिट आपको केवल उसमें दर्ज नियोक्ता के लिए ही काम करने का अधिकार देता है। सिवाय किन्हीं विशेष परिस्थितियों के जहाँ आपको किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करने की आधिकारिक अनुमति दी जाए यह वर्क परमिट **हस्तांतरणीय नहीं है।**

अपने नियोक्ता को अपना पासपोर्ट रखने की अनुमति न दें।

भर्ती एजेंट

• मॉरीशस के कानून के अनुसार एक भर्ती एजेंट किसी एक आवेदक (आप्रवासी श्रमिक) से पंजीकरण के लिए अधिकतम **100 मॉरीशियन रुपए** और काम पर रखे गए श्रमिक के पहले मासिक वेतन का अधिकतम **10%** हिस्सा कमीशन के रूप में ले सकता है।

• विदेशी भर्ती एजेंट द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर या स्थानीय पंजीकृत एजेंटों द्वारा सुनिश्चित शुल्क पर मॉरीशस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

कार्य और निवास परमिट के लिए आवेदन

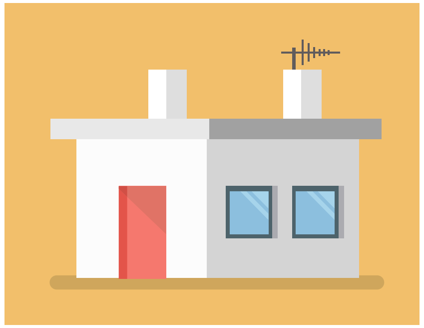

• परमिट प्राप्त करने के लिए उचित मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना **अनिवार्य है।**

• सभी आवश्यक परमिट के लिए सरकारी आवेदन नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

• वर्क परमिट श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्री द्वारा जारी किया जाता है।

• **पासपोर्ट और आप्रवासन कार्यालय** निवास परमिट / प्रवेश परमिट जारी करेगा।

• वर्क परमिट के लिए उचित शुल्क का भुगतान आपका नियोक्ता करेगा।

• निवास परमिट निशुल्क है।

3. मॉरीशस यात्रा

• आपका रोजगार अनुबंध, आपका वर्क परमिट और निवास / प्रवेश परमिट आपके इमिग्रेशन क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान करेगा और आपको एक विशिष्ट अवधि के लिए मॉरीशस में काम करने और रहने की अनुमति देगा।

• यह सलाह दी जाती है कि आप इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि अपने मूल देश / देश में अपने करीबी रिश्तेदार को दें।

• मॉरीशस और आपके देश के महत्वपूर्ण फ़ोन नंबरों को हमेशा सुलभ रखें।

• अपने प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति हमेशा अपने पास रखें जिससे कि पुलिस और किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षा जाँच की स्थिति में सुविधा रहे।

4. आप्रवासी श्रमिक के रूप में आपका अधिकार

4.1 उचित वेतन और सही व्यवहार के अधिकार

A. वेतन

a) मॉरीशस के नागरिकों के समान, आपको राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का अधिकार है। न्यूनतम वेतन का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है। यह न्यूनतम वेतन वर्तमान में **निर्यात उन्मुख उद्यमों के लिए प्रति माह** आठ **हजार एक सौ चालीस मॉरीशियन रुपए (8,140 रुपए) और स्थानीय खपत के लिए कार्यरत उद्यमों के लिए प्रति माह आठ हज़ार पाँच सौ मॉरीशियन रुपए (8,500 रुपए) हैं।**

b) आपको स्पष्ट नियमों और शर्तों के साथ, **प्रासंगिक श्रम कानूनों के अनुरूप**, अपने नियोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रोज़गार का अनुबंध प्राप्त करने का अधिकार है।

c) आपको **वेतन-पर्ची** मिलने का अधिकार है जिसमें आपके भत्ते और कटौतियाँ स्पष्ट हों। यदि आपको लगे कि अत्यधिक या अनधिकृत कटौतियाँ हुई हैं तो अपने नियोक्ता से अतिरिक्त स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

d) **निर्धारित समय से अतिरिक्त** घंटे काम करने पर आप ओवरटाइम वेतन के हकदार हैं।

e) आपका नियोक्ता आपको उपलब्ध करायी गई वर्दी, सुरक्षा उपकरण, औज़ार की लागत आपसे नहीं ले सकता अथवा लापरवाही या गलती के कारण किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए आपके वेतन से हरजाना नहीं लेगा।

f) राष्ट्रीय पेंशन अधिनियम के तहत आपसे वित्तीय योगदान लिये जाएँगे लेकिन इन्हें कानून के तहत वापस करने का प्रावधान भी है।

B. छुट्टी

a) अपने रोज़गार के अनुबंध के तहत और **मॉरीशस के श्रम कानूनों के अनुरूप** आपको अपनी **छुट्टी** लेने का अधिकार है।

C. भोजन, लॉजिंग, आवास और परिवहन

a) नियोक्ता आपको एक ऐसा निशुल्क अस्थायी आवास या रहने की जगह प्रदान करेगा जिसका आवास / निवास परमिट हो और आपके आरामदायक निवास के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करेगा।

b) आपको एक **गद्दे के साथ वाला व्यक्तिगत पलंग दिया जाना चाहिए।**

c) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विनियमन 2011 (श्रमिक 'लॉजिंग आवास) श्रमिक आवासों के लिए **सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंड** स्थापित करता है जिसके तहत पानी की आपूर्ति, शौच सुविधाएँ, स्नानघर, निजी सामान के लिए लॉकर, खाना पकाने और बर्तनों की सुविधाएँ, फ्रीजर और रेफ्रीजरेटर, फर्नीचर, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ निर्दिष्ट करता है। इसी विनियमन में यह भी निर्धारित है कि जब एक ही छत के नीचे कई लोग इन सभी सुविधाओं का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हों तो कैसा प्रावधान होना चाहिए।

d) आपका नियोक्ता आपके अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों और मॉरीशस के श्रम कानूनों के अनुरूप आपको यात्रा सुविधाएँ देगा या आपके आवास और कार्यस्थल के बीच का **यात्रा खर्च लौटाएगा।**

e) अगर आप **ओवरटाइम** करते हैं तो आपका नियोक्ता, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप आपको **निशुल्क भोजन** या 70 मॉरीशियन रुपए का भोजन भत्ता देगा।

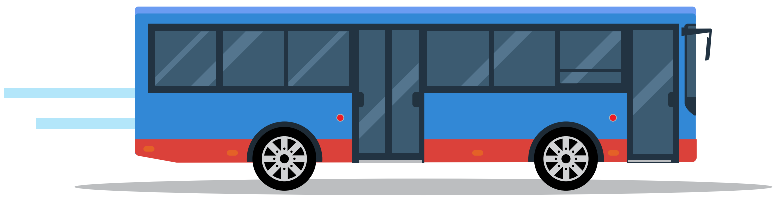

D. स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

a) काम के लिए एक **सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण** पाना तथा अपने कार्यस्थल पर लागू सुरक्षा मानकों की जानकारी पाना आपका अधिकार है।

b) कार्यस्थल पर **सुरक्षा और स्वास्थ्य** संबंधी खतरों के दर को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिए तथा **व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम 2005** के तहत नियमों का अनुपालन करना आपके नियोक्ता का **कर्तव्य** है।

c) मॉरीशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में **इलाज** निशुल्क है।

d) आपके नियोक्ता को अपनी लागत पर यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि आप **काम पर बीमार** या **घायल** हो जाते हैं तो आपको तत्काल उसके खर्चे पर **सार्वजनिक अस्पताल** या अन्य समान संस्थान में ले जाया जाए।

e) जहाँ शारीरिक चोट के जोखिम हों, वहाँ आपके नियोक्ता को आपको **सुरक्षा उपकरण और कपड़े** अवश्य देने चाहिए। (जैसे दस्ताने, सुरक्षात्मक जूते, श्वसन यंत्र, आदि)

E. प्रशिक्षण

a) आपके नियोक्ता को चाहिए कि आपको उचित प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रदान करें तथा आपके द्वारा प्रयुक्त सामग्री और उपकरणों, संभावित जोखिम और खुद को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में निर्देश दे।

b) प्रशिक्षण ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसे आप समझते हों

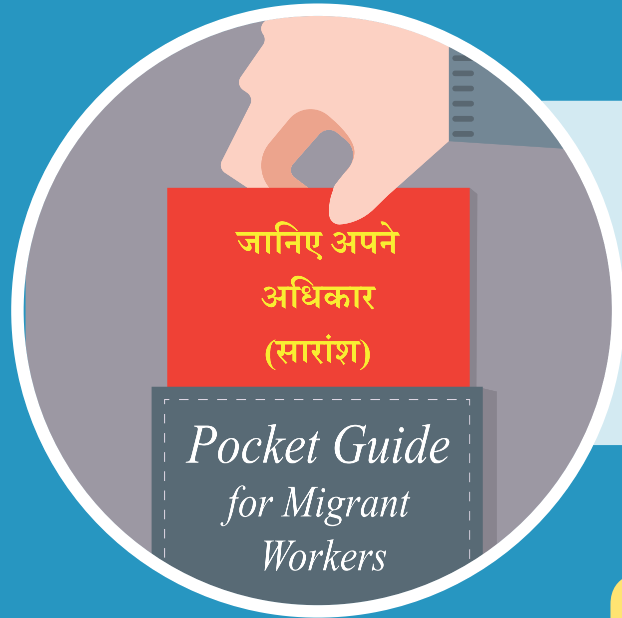

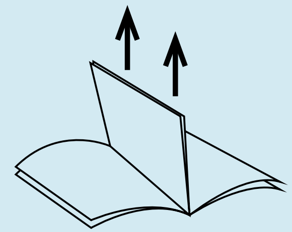

इस भाग को अलग करके एक पॉकेट गाइड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

वर्क परमिट

- श्रमिक की तरफ़ से नियोक्ता करेगा।
- श्रमिक को मेडिकल टेस्ट करना होगा।
- आवेदन शुल्क का भुगतान नियोक्ता करेगा।
- यात्रा करने से पहले और काम शुरू करने से पहले आपको वर्क परमिट प्राप्त करना होगा।
- श्रम, औद्योगिक संबंध, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय को कार्य परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन, कार्यकाल की समाप्ति से 3 महीने पहले भेजना चाहिए।
- आपके वर्क परमिट की समाप्ति पर आपको देश छोड़ना होगा और इसके बाद काम जारी रखना अवैध है।
- आपका वर्क परमिट आपको केवल उसमें दर्ज नियोक्ता के लिए ही काम करने का अधिकार देता है। सिवाय किन्हीं विशेष परिस्थितियों के जहाँ आपको किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करने की आधिकारिक अनुमति दी जाए यह वर्क परमिट हस्तांतरणीय नहीं है।

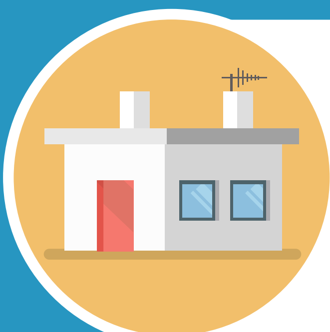

निवास परमिट

- मॉरीशस में रहने के लिए आपको निवास परमिट की आवश्यकता होगी।
- नियोक्ता श्रमिक की तरफ़ से आवेदन करेगा।
- निवास परमिट की अधिकतम अवधि 4 साल की है लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है।
- निवास परमिट की समाप्ति से 3 महीने पहले, पासपोर्ट और आप्रवासन कार्यालय से इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन भेजा जाना चाहिए।
- यदि आपका निवास परमिट समाप्त हो गया है तो मॉरीशियन क्षेत्र में रहना अवैध है।

हवाई टिकट

समय पर या समय से पहले तथा किसी अन्य वजह से, आपके वर्क परमिट की समाप्ति पर आपके नियोक्ता को आपको रिटर्न एयर टिकट प्रदान करना होगा।

वेतन

- आपका वेतन आपके रोजगार के अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- जनवरी 2018 से न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन लागू किया गया है। यह आप्रवासी श्रमिकों के लिए भी लागू होता है और वर्तमान में यह न्यूनतम वेतन वर्तमान में निर्यात उन्मुख उद्यमों के लिए प्रति माह आठ हजार एक सौ चालीस मॉरीशियन रुपए (8,140 रुपए) और स्थानीय खपत के लिए कार्यरत उद्यमों के लिए प्रति माह आठ हज़ार पाँच सौ मॉरीशियन रुपए (8,500 रुपए) हैं।

आवास और परिवहन

- नियोक्ता अपने खर्चे पर आपको आरामदायक आवास और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करेगा। इसमें पानी, बिजली और गैस शामिल है।
- आपको अपना व्यक्तिगत पलंग मिलना चाहिए।
- आवास साझा करने के लिए न्यूनतम मानकों को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (श्रमिक 'लॉजिंग आवास) विनियम 2011 के तहत निर्दिष्ट किया गया है।
- नियोक्ता आपको यात्रा सुविधाएँ देगा या आपके आवास और कार्यस्थल के बीच का यात्रा खर्च लौटाएगा।

भोजन भत्ता

अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो आपके नियोक्ता को कानून के निर्देशित प्रावधानों के तहत, आपको निशुल्क भोजन या 70 मॉरीशियन रुपए का भोजन भत्ता देना चाहिए।

स्वास्थ्य

- सार्वजनिक अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं।
- आपके नियोक्ता को अपनी लागत पर यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि आप काम पर बीमार या घायल हो जाते हैं तो आपको तत्काल उसके खर्चे पर सार्वजनिक अस्पताल या अन्य समान संस्थान में ले जाया जाए।

पहचान दस्तावेज़

अपने प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति हमेशा अपने पास रखें जिससे कि पुलिस और किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षा जाँच की स्थिति में सुविधा रहे।

आपके नियोक्ता को आपका पासपोर्ट अपने पास रखने का अधिकार नहीं है

आपके अधिकारों का उल्लंघन

यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो आप हॉटलाइन पर कॉल करके या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्रालय अथवा मानवाधिकार संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं।

पुलिस के हॉटलाइन नंबर: 999 या 148
पुलिस सूचना कक्ष: +230 208 0034 / 35

अन्य संपर्क

श्रम, औद्योगिक संबंध, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय	
मुख्य कार्यालय:	+230 207 2711
विशेष आप्रवासी श्रमिक इकाई:	+230 207 2600
श्रमिक लॉजिंग और आवास इकाई:	+230 207 2732
वर्क परमिट इकाई:	+230 405 0100
समान अधिकार आयोग:	+230 201 3502
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:	+230 208 2856
लिंग समानता, बाल विकास और परिवार कल्याण मंत्रालय:	+230 405 3300

मानव तस्करी

- **मानव तस्करी विरोधी एक्ट** के तहत, मानव तस्करी दंडनीय है।
- आप पर दबाव डालते हुए, डरा-धमकाकर, ब्लैकमेल करके, यौन कृत्य करना या उसमें पड़ने के लिए मजबूर करना अवैध है।
- कानून मानव तस्करी के शिकार लोगों को **42 दिनों** तक देश में रहने की अनुमति देता है।

मजदूरों पर दबाव

हिंसा

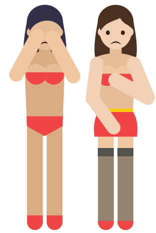

वेश्यावृति के लिए विवश करना

आश्रय

यदि आप मानव तस्करी के शिकार बनते हैं तो आपको उचित चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता तथा सहयोग (भोजन और कपड़े) देते हुए सरकारी सुरक्षा में किसी निवास में रखा जा सकता है।

छुट्टी

रोज़गार के अनुबंध और मॉरीशस के मज़दूरों के क़ानून के तहत, आपको छुट्टी लेने का अधिकार है।

भर्ती एजेंट

- कृपया सुनिश्चित कर लें कि मॉरीशस के भर्ती एजेंट के पास वैध लाइसेंस है। इसे इस वेबसाइट में देख सकते हैं (www.labour.govmu.org)
- •अत्यधिक भर्ती शुल्क और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादों से सावधान रहें। विदेशी भर्ती एजेंटों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर या स्थानीय पंजीकृत एजेंटों द्वारा सुनिश्चित शुल्क पर मॉरीशस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है।

श्रमिक संघ

आपको अपने कार्यस्थल पर ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने और संघ की वैध गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

F. अन्य सुविधाएँ

आपके नियोक्ता को आपके कार्यस्थल पर आपको निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी:

साबुन और साफ़ पानी के साथ कपड़े धोने की सुविधाएँ

स्वच्छता की सुविधाएँ

पेय जल

प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ

भोजन करने की सुविधाएँ या मेस रूम

4.2 भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार

a) मॉरीशस में विदेशी होने के नाते, इस देश के निवासियों की तरह, आपको भी नागरिक अधिकार प्राप्त हैं।

b) रोज़गार अधिकार अधिनियम के तहत, प्रत्येक नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी का वेतन समान काम करने वाले दूसरे कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम नहीं होगा।

c) समानाधिकार अधिनियम (ईओए) किसी व्यक्ति की स्थितियों के आधार पर भेदभाव अवैध है। इनमें उम्र, पंथ, वंश, लिंग, यौन रुझान, जाति, जन्म-स्थल और जातीयता, रंग या शारीरिक अभाव शामिल है।

4.3 श्रमिक संघ में शामिल होने का अधिकार

a) आपका नियोक्ता आपको अपने कार्यस्थल के ट्रेड यूनियन सदस्य बनने से नहीं रोक सकता और ट्रेड यूनियन की वैध गतिविधियों में भाग लेने की स्थिति में आपके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता है।

4.4 यौन उत्पीड़न से मुक्त होने का आपका अधिकार

a) आपके नियोक्ता, सहकर्मियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आप पर यौन उत्पीड़न गैरकानूनी है।

b) आप तब यौन उत्पीड़न के शिकार बनते हैं जब आपको इन रूपों में अपमानित, भयभीत या दमित किया जाता है:

(i) आपकी मर्जी के बिना सेक्स की मांग

(ii) सेक्स के बदले सिफारिश

(iii) सेक्स संबंधी कोई अन्य अवांछित बर्ताव

c) यदि आप यौन उत्पीड़न या शोषण के शिकार हैं, तो आप पुलिस या श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आप आयोग के वेबसाइट **eoc.govmu.org** से फ़ार्म पा सकते हैं। इस फ़ार्म को 2013408 पर फैक्स करके या **eoc@govmu.org** पर ईमेल करके भेज सकते हैं।

d) समानाधिकार आयोग में भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

4.5 शिकायत दर्ज करने का अधिकार

a) यदि आपके अनुबंध के तहत, रोज़गार की आपकी शर्तों, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा सही ढंग से आवास की सुविधाओं आदि का अनुपालन न हो, तो आप अधिकृत संस्थाओं में अपने नियोक्ता के खिलाफ़, औपचारिक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

b) अगर आपका नियोक्ता आप पर अत्याचार कर रहा है, तो स्थिति को बिगड़ने न दें। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और सरकारी संस्थाओं से सलाह और सहायता माँगें।

महत्वपूर्ण संपर्क

पुलिस

999 या **148** पर आप पुलिस के हॉटलाइन पर संपर्क करें। **208 0034** या **208 0035** पर आप पुलिस सूचना कक्ष को भी फोन कर सकते हैं। वे **24** घंटे काम करते हैं।

आपको सलाह दी जाती है कि आप उन्हें अपनी आपात स्थिति, अपना पता और अपना फ़ोन नंबर (जिससे आप बात कर रहे हैं) के बारे में सूचित करें। यदि आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, तो अनुवादक की माँग भी करें।

श्रम, औद्योगिक संबंध, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय (MLIRET)

काम संबंधी मसलों के लिए, आप श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्रालय (MLIRET) से 08.45 से 16.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। पता - विक्टोरिया हाउस, सेंट लुइस स्ट्रीट, पोर्ट लुइस, मॉरीशस है।

आप अपनी जगह के क्षेत्रीय / उप-कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य संपर्क इस प्रकार हैं:

विभाग	संपर्क नंबर	इन मामलों के लिए
मुख्य कार्यालय	mol@govmu.org +230 207 2711	सामान्य प्रशासन
विशेष आप्रवासी श्रमिक इकाई	+230 207 2600 +230 207 2640	रोज़गार के अनुबंध के नियम और शर्तें
श्रमिक लॉजिंग और आवास इकाई	+230 207 2600 +230 207 2732	श्रमिकों के आवास के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंड
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाग	+230 207 2600	कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंड
वर्क परमिट यूनिट	+230 405 0100	मॉरीशस में गैर-नागरिकों का रोज़गार और वर्क परमिट की प्रक्रिया

लिंग समानता, बाल विकास और परिवार कल्याण मंत्रालय

महिला अधिकारों तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता से संबंधित मामलों के लिए

मुख्य कार्यालय **+230 405 3300**

पासपोर्ट और आप्रवासन कार्यालय

निवास / प्रवेश परमिट और पासपोर्ट से संबंधित मामलों के लिए

इमेल piomain@govmu.org **फोन न.** **+230 210 9312**

संस्था	संपर्क नंबर	इन मामलों के लिए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	+230 208 2856	संविधान में स्थापित मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में
समानाधिकार आयोग	+230 201 3502 +230 201 1074	भेदभाव और यौन उत्पीड़न
स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग	+230 214 2551	अपने कार्यों के निर्वहन में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ शिकायत के लिए (भ्रष्टाचार और मनी लॉडरिंग को छोड़कर)

5. कार्यकाल से पहले आपके अनुबंध की समाप्ति

a) अगर आपके नियोक्ता द्वारा रोज़गार की समाप्ति आपके कार्यकाल से पहले ही हो जाती है, तो समाप्ति से पहले नोटिस समेत आपकी **देय राशि**, काम करने के अंतिम दिन तक **शेष वेतन, सालाना ग्रैच्युइटी** और **शेष वार्षिक छुट्टी** की भरपाई नियोक्ता द्वारा की जाएगी।

b) यदि **घोर दुर्व्यवहार** की वजह से आपका अनुबंध समाप्त किया जाए, तो **काम के अंतिम दिन तक का वेतन** ही आपको प्राप्त होगा।

c) जहाँ उद्यम को प्रभावित करने वाले आर्थिक, तकनीकी, संरचनात्मक या इस प्रकार के कारणों से कार्य समाप्ति होती है, एक आप्रवासी श्रमिक को (जो **12 महीने या उससे अधिक की अवधि** के लिए **लगातार रोज़गार** में रहा है) 12 महीने की हर अवधि के लिए, **महीने की एक चौथाई मज़दूरी**, अनुबंध समाप्ति भत्ते के रूप में दी जाएगी और बाकी महीनों के लिए, निश्चित अनुपात में वेतन मिलेगा।

d) यदि किसी आप्रवासी मज़दूर को उसका बकाया वेतन न मिले, तो वह श्रम, औद्योगिक संबंध, रोज़गार और प्रशिक्षण मंत्रालय (MLIRET) के तहत, **विशेष आप्रवासी मज़दूर यूनिट (SMWU)** में शिकायत दर्ज कर सकता है।

e) किन्हीं वजहों से, आपके वर्क परमिट के रद्द या समाप्त होने पर, आपके नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह आपको देश-वापसी का रिटर्न एयर-टिकट प्रदान करें।

6. इन अपराधों से बचें:

- आपके वीज़ा या परमिट की समाप्ति के बाद, आपको मॉरीशस में अवैध रूप से नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको 1,000 रुपए तक जुर्माना तथा एक वर्ष तक कारावास हो सकता है।
- आपके वर्क परमिट में सूचीबद्ध नियोक्ता के अतिरिक्त, आपको किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करने का अधिकार नहीं है।
- आपके परमिट की समाप्ति पर, आपको काम करना जारी नहीं रखना चाहिए। वर्क परमिट की समाप्ति पर, अवैध रूप से काम करने से, आपको 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना भरना होगा और साथ ही, 2 साल तक का कारावास भी हो सकता है।
- **आपको याद दिलाया जाता है कि भ्रष्टाचार और रिश्वत गैरकानूनी है।**

7. मानव तस्करी

कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका शिक्षा-स्तर, लिंग, उम्र देश कोई भी हो मानव तस्करी का शिकार बन सकता है।

मॉरीशस के मानव तस्करी विरोधी एक्ट के तहत, मानव तस्करी व्यक्ति पर शोषण करने के उद्देश्य से, बल, दबाव, धमकी, गैकानूनी या विवशतापूर्वक, अपहरण, धोखाधड़ी, सत्ता का दुरुपयोग और व्यक्ति की दुर्बलता का गलत फ़ायदा उठाते हुए, उसकी भर्ती, बिक्री, आपूर्ति, खरीद, कब्ज़ा, हटाना, स्थानान्तरण करना, दूसरी जगह भेजना, कहीं रहने पर विवश करना या माल के रूप में उसे पाना है।

श्रमिक तस्करी करने वालों और सेक्स ट्रैफिकर्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वे नागरिक देयता का भी सामना कर सकते हैं। अपराधों की शिकायत दर्ज करने, अग्रेषित करने और सज़ा के प्रावधान मानव तस्करी विरोधी एक्ट की धारा 11 से 14 में किया गया है।

7.1 मानव तस्करी के चेतावनी संकेत और आम तौर पर ट्रैफिकर्स क्या करते हैं:

- पीटने का डर और धमकी की स्थितियाँ पैदा करना।
- शारीरिक, मनोवैज्ञानिक नुकसान / दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार और हिंसा के अन्य रूपों का प्रयोग करना।
- दुर्व्यवहार होने पर, अधिकारियों से मदद माँगने या शिकायत करने पर, आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुँचाने के लिए धमकाना।
- आपके मदद माँगने पर, आपको स्वदेश भेजने या गिरफ्तार कराने की धमकी देना।
- आपके कार्यस्थल और निवास तक, आपको स्वतंत्र रूप से जाने के लिए मना करना।
- आपके पासपोर्ट / यात्रा दस्तावेज़ों को अपने पास रखना या ज़ब्त करना।
- दोस्तों या रिश्तेदारों से संपर्क करने से आपको मना करना।
- अपने पैसों पर आपका कोई नियंत्रण न रहना।
- अपनी स्थिति के बारे में झूठ बोलने और कुछ न कहने के लिए विवश करना।
- पर्याप्त योग्यता, कौशल और अनुभव न होने पर, और कुछ मामलों में आपकी आयु और शारीरिक गठन को विशेष ध्यान में रखते हुए, आपकी भर्ती करना।
- आपसे बहुत पैसे, शानदार ज़िंदगी, अन्य उपहार और काम की प्रकृति, कामकाजी घंटे, काम और जीवन स्तर या वेतन के गलत वादे करना।
- तस्करों द्वारा झूठे और थोपे गए ऋणों के बारे में आपको धमकाना और ऋण चुकाने के लिए आपको श्रम, सेवाएँ या व्यावसायिक यौन गतिविधियाँ (वेश्यावृत्ति) करने के लिए मजबूर किया जाना।

7.2 मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए क्या सेवाएँ उपलब्ध हैं?

आपको सरकारी सुरक्षा में आश्रय मिल सकता है जिसके अंतर्गत चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसे तत्काल सहयोग और उचित देखभाल (भोजन और कपड़े) दिए जाएँगे। सरकार आपको स्वदेश लौटने के लिए भी सहायता दे सकती है।

कानून मानव तस्करी के शिकार लोगों को 42 दिनों तक मॉरीशस में रहने की अनुमति देता है।
आश्रय में या किसी अधिकृत व्यक्ति, संगठन या संस्था की देखभाल में पीड़ित व्यक्ति यदि तस्करी मामले की जाँच और कार्रवाई में सरकार को सहयोग देने के लिए सहमत होता है, तो मॉरीशस में मौजूद पीड़ित के लिए एक आगंतुक परमिट जारी किया जा सकता है।

जानिए

अपने अधिकार

अस्वीकरण: इस पुस्तिका में निहित जानकारी केवल एक गाइड के रूप में प्रदान की गई है।

पूरक जानकारी के लिए संबद्ध कानून अवश्य देखें।